

पत्रांक- सामान्य स्थानान्तरण-मनोरंजन निरीक्षक संवर्ग / 2023-24 / 1607 / राज्य कर  
कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश  
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)  
लखनऊ::दिनांक:: 30 जून, 2023

**-:: आदेश:-**

राज्य कर विभाग (पूर्व मनोरंजन कर) के निरीक्षक संवर्ग में कार्यरत कार्मिकों का स्थानान्तरण स्वेच्छा/ कार्य हित में निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 से स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय/स्थान	कार्यालय जहां स्थानान्तरण/तैनात किया जाता है
1	2	3	4
1.	सुश्री ज्योति अग्निहोत्री, निरीक्षक	अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०) राज्य कर, कानपुर-प्रथम।	राज्य कर मुख्यालय
2.	श्री अरुण कुमार पाठक, निरीक्षक	उपायुक्त, कर वसूली, राज्य कर, इटावा।	जोनल कार्यालय, राज्य कर, गोरखपुर।
3.	श्री प्रदीप कुमार सिंह, निरीक्षक	राज्य कर कार्यालय, मनोरंजन कर, कलेक्ट्रेट, बरेली।	संयुक्त आयुक्त (कार्य०)राज्य कर, सीतापुर।
4.	श्री अतुल कुमार आर्य, निरीक्षक	जोनल कार्यालय, राज्य कर कानपुर-प्रथम	राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
5.	श्री ओम प्रकाश, निरीक्षक	पूर्व मनोरंजन कार्यालय, प्रतापगढ़।	जोनल कार्यालय, राज्य कर, प्रयागराज
6.	श्री देवी दत्त यादव, निरीक्षक	उपायुक्त(प्रशासन)राज्य कर, शामली	जोनल कार्यालय, राज्य कर, वाराणसी।
7.	श्री देवेन्द्र कुमार शुक्ला, निरीक्षक	पूर्व मनोरंजन कार्यालय, उन्नाव।	जोनल कार्यालय, राज्य कर, मेरठ।
8.	श्री ज्ञान प्रकाश, निरीक्षक	पूर्व मनोरंजन कार्यालय, जौनपुर।	जोनल कार्यालय, राज्य कर, मेरठ।
9.	श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, निरीक्षक	पूर्व मनोरंजन कार्यालय, संतकबीर नगर।	जोनल कार्यालय, राज्य कर, आगरा।

- उपरोक्त सभी कार्मिकों का स्थानान्तरण उनके स्वयं के अनुरोध पर किया गया है, अतः इन्हें कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के भीतर कार्यमुक्त करते हुए उन्हें नये तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया जाएगा।
- उपरोक्त कार्मिकों के नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति दिनांक 07.06.2023 के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

4. यह आदेश आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

(ओम प्रकाश वर्मा)

अपर आयुक्त, राज्य कर  
प्रभार-अपर आयुक्त(प्रशासन)राज्य कर,  
उ0प्र0, लखनऊ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांकः उक्त।**

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. सम्बन्धित जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3. सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त(कार्यपालक)राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. संयुक्त आयुक्त(आई0टी0)राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
7. सम्बन्धित उपायुक्त(प्रशासन)/आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
8. सम्बन्धित जनपद प्रभारी(मनोरंजन कर कार्य), उत्तर प्रदेश।
8. स्था-6 सामान्य पटल, स्थापना अराज0 अनुभाग, राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
9. चरित्र पंजिका सेल, राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
10. सम्बन्धित कर्मचारियों को नाम से।

(दिनेश कुमार वर्मा)

संयुक्त आयुक्त(स्थापना अराज0)  
राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।